



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 437]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 8, 2008/श्रावण 17, 1930

No. 437]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 8, 2008/SRAVANA 17, 1930

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(पोत परिवहन विभाग)

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2008

सा.का.नि. 585(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 के अधिनियम सं. 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ पठित उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके और भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पोत परिवहन विभाग (पत्तन स्कंध) की दिनांक 17 जुलाई, 2008 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 539(अ) के साथ पठित दिनांक 19 मार्च, 2008 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 194(अ), दिनांक 22 अप्रैल, 2008 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 298(अ), दिनांक 1 मई, 2008 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 326(अ), दिनांक 9 मई, 2008 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 353(अ), दिनांक 2 जून, 2008 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 424(अ), और दिनांक 12 जून, 2008 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 453(अ) के क्रम में केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा उक्त अधिसूचना में क्रम सं. 9 के बाद निम्नलिखित को कांडला पत्तन के न्यासी बोर्ड में न्यासी के रूप में नियुक्त करती है :—

तालिका

10. श्री पी. एन. सूरी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बी-124, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020	महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3(1)(ग) (ii) (4) में परिकल्पित "अन्य हितों" के प्रतिनिधि।
--	---

11. विकास अशुक्त (विशेष आर्थिक क्षेत्र), कांडला	महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3(1)(ग) (ii) (4) में परिकल्पित "अन्य हितों" के प्रतिनिधि।
12. श्री रूपेश सी. राह, अध्यक्ष, गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गुजरात चैम्बर बिल्डिंग, पो.ऑ. बॉक्स नं. 4045, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009	महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3(1) (ग) (ii) (4) में परिकल्पित "अन्य हितों" के प्रतिनिधि।
13. श्री ई करुणानिधि, 11 फिरफूर कुमारन स्ट्रीट, राधा नगर, चोमपेट, चेन्नई-600044	महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3(1) (ग) (i) (7) में परिकल्पित "अन्य हितों" के प्रतिनिधि।
14. श्री ए. जानकीरमन, बी. ए.बी.एल. नं. 1, एक्स सर्विसमैन एनक्लेव, सलैबूर, चेन्नई-600073	महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 3(1)(ग) (i) (7) में परिकल्पित "अन्य हितों" के प्रतिनिधि

[फा. सं. पी. टी.-18011/12/2007-पी.टी.]

राकेश श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT
AND HIGHWAYS

(Department of Shipping)

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August, 2008

G.S.R. 585(E).—In exercise of powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963),

and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Department of Shipping, Ports Wing, No. G.S.R. 194(E), dated 19th March, 2008, No. G.S.R. 298(E), dated 22nd April, 2008, No. G.S.R. 326(E), dated 1st May, 2008, No. G.S.R. 353(E), dated 9th May, 2008, No. G.S.R. 424(E), dated 2nd June, 2008, No. G.S.R. 453(E), dated 12th June, 2008, read with No. G.S.R. 539(E), dated 17th July, 2008, the Central Government hereby appoints the following as trustees after serial number 9 of the said notification on the Board of Trustees for the Port of Kandla.

TABLE

10. Shri P.N. Suri, Punjab Haryana Delhi, Chamber of Commerce, B-124, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020.	Representing "Other Interests" as envisaged under Section 3(1)(c)(ii)(4) of MPT Act, 1963.
11. Development Commissioner (SEZ) Kandla	Representing "Other Interests" as envisaged under Section 3(1)(c)(ii)(4) of MPT Act, 1963.

- | | |
|---|--|
| 12. Shri Rupesh C. Shah, President, Gujarat Chamber of Commerce and Industry, Gujarat Chamber Building, P.O. Box No. 4045, Ashram Road, Ahmedabad-380009. | Representing "Other Interests" as envisaged under Section 3(1)(c)(ii)(4) of MPT Act, 1963. |
| 13. Shri E. Karunanidhi, 11, Thiruppur Kumaran Street, Radha Nagar, Chrompet, Chennai-600044. | Representing "Other Interests" as envisaged under Section 3(1)(c)(i)(7) of MPT Act, 1963. |
| 14. Shri A. Janakiraman, B.A.B.L., No. 1 Ex Service-men Enclave, Salaiyur, Chennai-600073. | Representing "Other Interests" as envisaged under Section 3(1)(c)(i)(7) of MPT Act, 1963. |

[F.No. PT-18011/12/2007-PT]

RAKESH SRIVASTAVA, Jt. Secy.